

प्रेषक,

ऐलिंग लड्डा,
पुस्ती सौंचवा,
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा में,

१। ई-गवर्नेन्ट रायबरेत्त,
मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर, एवं लखनऊ।

२। जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सल्लानपुर,
गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेत्त।

विकलांग कल्याण विभाग-२

लखनऊ : दिनांक ३० जून, 2008

विषय : ई-गवर्नेन्ट योजनान्तर्गत प्रदेश के ०६ जनपदों-गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सल्लानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेत्त के पात्र विकलांग व्यक्तियों को विकलांग पेंशन योजना के उन्तर्गत प्राप्तिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए गुह्ये यह कहने का उन्देश हुआ है कि जन सामान्य को किसायती, पारदर्शी तथा सटज-सुलभ रीति से लेखा एवं उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्ट योजना के उन्तर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट की पारकल्पना की गयी है, जिसके तुलना एवं त्यार प्रौद्योगिकी की सहायता से इस विभाग की पेंशन योजना को सुव्यवस्थित तरीके से तागूँ किया जाना है। प्रधान चरण में हरके ई-यान्वयन हेतु आपके जनपद को चयनित किया गया है।

२- विकलांग एवं असाधी/विपन्न व्यक्तियों को मात्रिक विकलांग पेंशन के रूप में रु ३००/- प्रतियोगी की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांग पेंशन योजना तयारित है। ऐसे विकलांग जन, जिनकी आय शाही दारा निर्धारित सीमा से ऊपरी हो उनका पात्र स्वयं वो कोई आय नहीं है उधपा कानूनी रूप से उनकी देव-रेव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पात्र आय का कोई श्रोत नहीं है इस योजना के लिए पात्र होगी। विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य विकलांग जन की जाति में स्थानीय को तुलना हेतु लापा उनके जीवन को सम्मान, प्रयोजन पूर्ण तथा शान्ति के साथ विताने हैं। प्रोट करना है। ई-गवर्नेन्ट योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं नारीय भागों में विकलांग पेंशन हेतु आवेदन की प्राकृत्या निम्न प्रकार होगी :-

ग्रामीण क्षेत्र आवेदन :-

- १। शर्वपृथग आवेदक सामान्य लेवा केन्द्र ३०४०सी०० में जाकर विकलांग पेंशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरेगा। उसमें उपनी आयु, परिवार का विवरण एवं उपना बो०५००४०८० कुमांक तर्ज भरेगा।
- २। लागान्य सेवा केन्द्र ३०८०४०सी०० का अपरेटर आवेदक के भरे हुए आवेदन पत्र को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा। तत्पद्धति उसे रसीद करेगा।
- ३। खण्ड विकास अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में काग-झन करेगा तथा आवेदन पत्र को आन-लाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जांच हेतु निर्देशित करेगा।
- ४। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवेदन पत्रों को पंचायत की खुली बैठक में रखेगा तथा पंचायत के प्रस्ताव के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में अपलोड करेगा।
- ५। खण्ड विकास अधिकारी संकलित रूप से सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों से आन-लाइन विकलांग पेंशन योजना के आवेदन पत्रों को जांचोपरान्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से आन-लाइन प्रेषित करेगा।
- ६। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लाभार्थियों को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अपावधिक करेगा तथा विकलांग पेंशन वितरण की प्राक्रिया का आरम्भ करेगा।

नगर क्षेत्र आवेदन :-

- १। आवेदक सी०४४०सी०० एवं लोक वाणी सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन द्वारा आन-लाइन आवेदन पत्र उप-जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा, जिसमें उत्तीर्ण आयु, परिवार का विवरण एवं बो०५००४०८० कुमांक भी लिखा होगा।
- २। उप-जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन को काग-झन करेगा तथा विकलांग पेंशन के आवेदन पत्रों को तहसीलदार को जांच हेतु आन-लाइन प्रेषित करेगा।

- ३३ तटीलदार, कानूनगो/लेखपाल को आवेदन पत्र जांच हेतु आनन्दाहन नापित करेगा ।
- ३४ कानूनगो/लेखपाल रारा जांच कर आनन्दाहन उक्त आवेदन पत्रों को तटीलदार को भेजा जायेगा ।
- ३५ तटीलदार उक्त आवेदन पत्रों को दैनन्दिन आधार पर अपनी आधिकारीता सहित आनन्दाहन उष प्रज्ञाधिकारी/सिटी गार्जिस्ट्रेट को भेजेगा ।
- ३६ उप प्रज्ञाधिकारी/सिटी गर्जिस्ट्रेट आवेदन पत्रों के परीक्षण के पश्चात अपनी स्वीकृति अंकित करते हुए आनन्दाहन उन्हें जिला विकास एवं कल्याण अधिकारी को भेजेगा ।
- ३७ जिला विकास एवं कल्याण अधिकारी पेशनरों की सूची को ई-डिट्रिक्ष एप्लीकेशन पर अधाराधिक करेगा एवं पेशन वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा ।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण

शैलेश कृष्ण
प्रगुख सीचव

संख्या-१२४ । १५/६५-२-२००८-तदादनांक

प्रतिलिपि :-

- १- निदेशक, विकास एवं कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- २- जिला विकास एवं कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, गार्जियाबाद, उत्तरान्ध्रपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायदरेली को इस आशय से प्रेषित है कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
- ३-उप निदेशक, विकास एवं कल्याण, बेरठ, फैलाबाद, गोरखपुर एवं लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

आशा है,

२८

प्रियं राज प्रिंट यादव
विशेष साधित ।